

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पद पर
पूर्व सैन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या-02/2025

गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के 16 (सोलह) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सशस्त्र सेना (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) के भूतपूर्व सैन्य पदाधिकारियों (कर्नल अथवा समकक्ष रैंक) से आवेदन पत्र एवं Certificate of Undertaking विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति पुरुष-03 (तीन), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पुरुष-02 (दो) महिला-01 (एक), पिछड़ा वर्ग पुरुष-02 (दो), पिछड़े वर्गों-की महिलायें-01 (एक), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-01 (एक), गैर आरक्षित वर्ग पुरुष-04 (चार) महिला-02 (दो) पद आरक्षित है।

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र गृह विभाग/सैनिक कल्याण निदेशालय के वेबसाईट (<https://state.bihar.gov.in/home> or <https://home.bihar.gov.in/sainik>) या सैनिक कल्याण निदेशालय के कार्यालय के ई-मेल directorsknbihar@gmail.com से प्राप्त किया जा सकता है।

गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पद पर पूर्व सैन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या-02/2025

गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के 16 (सोलह) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सशस्त्र सेना (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) के भूतपूर्व सैन्य पदाधिकारियों (कर्नल अथवा समकक्ष रैंक) से आवेदन पत्र एवं Certificate of Undertaking विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति पुरुष-03 (तीन) जिसमें बैकलॉग-01 (एक) एवं चालू रिक्ति-02 (दो), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पुरुष-02 (दो) महिला-01 (एक), पिछड़ा वर्ग पुरुष-02 (दो), पिछड़े वर्गों-की महिलायें-01 (एक), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-01 (एक), गैर आरक्षित वर्ग पुरुष-04 (चार) महिला-02 (दो) आरक्षित है।

2. वेतनमान-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन अनुमान्य होगा।
3. जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी के अनुसार एवं अधिकतम आयु सीमा 59 वर्ष होगी। जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का कार्यकाल अधिकतम 05 वर्षों का होगा। 60 वर्षों के उपरांत राज्य सरकार द्वारा सेवा संतोषजनक पाये जाने पर इनकी सेवा विस्तार अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक बढ़ायी जा सकेगी।
4. इस पद के लिए कर्नल अथवा समतुल्य रैंक के अवकाशप्राप्त/सेवानिवृत्त कमीशण्ड पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
5. इस पद के लिए कर्नल अथवा समतुल्य रैंक के अवकाशप्राप्त/सेवानिवृत्त कमीशण्ड पदाधिकारी आवेदन करने के योग्य होंगे जिन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त हो।
6. इनकी नियुक्ति मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्तर्वीक्षा एवं सेवा इतिहास के आधार पर प्राप्त अंक की वरीयता के अनुसार की जायेगी।
7. इनकी नियुक्ति **(बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2025)** अधिसूचना संख्या 1996 दिनांक 04.10.2025 में निहित शर्तों के अनुरूप होगी।
8. नियुक्त पदाधिकारी बिहार राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू नियम, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
9. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी किये जाने वाले प्रावधान इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

10. मुख्यालय में प्राप्त आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा तैयार किये गये पैनल के आधार पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

11. आरक्षण –

(क) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 673 दिनांक, 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचंलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचंलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

12. यह नियुक्ति पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 061/Policy/Gen Policy/Vol-I दिनांक 20.08.2024 के मार्गदर्शन तथा गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1996 दिनांक 04.10.2025 के आलोक में की जायेगी।

13. आवेदन पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक एवं सुसंगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, Certificate of Undertaking एवं हाल का स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. निदेशालय में निबंधित/स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह तक होगी। डाक में विलम्ब होने की स्थिति में निदेशालय की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

Application Format

1	Personal No	-	
2	Rank	-	
3	Name in Full (BLOCK LETTER)	-	
4	Date of Birth	-	
5	Date of Commission	-	
6	Date of Retirement	-	
7	Permanent Address	-	
8	Present Address	-	
9	Category (ie. SC/ST/BC/EBC/OBC WOMEN)	-	
10	Caste	-	
11	Sub Caste	-	
12	Religion	-	
13	Nationality	-	
14	Education Qualification	-	
(a)	<u>Academic</u>		
Sl No	Name of School/College	Exam Passed	Year
			Division/Class
(b)	<u>Technical</u>		
Sl No	Qualification	Name of Institute	Year
			Division/Grading

15	<u>Detail of Gallantry/ Non Gallantry Awards</u>		
Sl No	Name of Award	Year	Category (Gallantry/ Non-Gallantry)

16	<u>Detail of taken part in War or Operation</u>		
Sl No	Name of War/Operation	Year	Area

17	<u>Details of Course passed</u>		
Sl No	Name of Course	Year	Grading/Class

18	<u>Details of Commendation Card</u>		
Sl No	Type of Commendation Card	By Whom	Year

* Please attach two self attested recent passport size photographs.

Signature of the Applicant
Mobile No.....
e-mail.....

CERTIFICATE OF UNDERTAKING BY RETIRED MILITARY OFFICERS
FOR APPOINTMENT OF ZILA SAINIK KALYAN PADADHIKARI
(COL OR EQUIVALENT).

2. I,.....Rank.....Name.....am willing to appear for the interview to be held by the selection committee for filling up the post of Zila Sainik Kalyan Padadhikari in the State of Bihar.

2. I hereby certify that I have neither availed any benefit nor am I employed with DGR/ECHS and not benefitted/benefitting from their sponsored schemes either. I am not presently employed (nor have been employed earlier) with RSB/ZSB in any State/UT.

3. I have/have not applied to DGR/ECHS for any post/vacancies advertised.

4. If, I am selected for the post/appointment, I will, thereafter, neither avail any scheme/employment sponsored by DGR/ECHS nor will I apply for employment in RSB/ZSB of any State/UT in future.

5. If I am selected for the post, I shall join within the stipulated time.

6. If selected for the post, I shall not quit the job before the period of one year and shall give three months notice prior to submitting the resignation.

7. Further, if there is any falsification found at any time related to my statement, my candidature may be treated as cancelled.

Place :

Date :

Signature of the applicant

Rank.....

Name.....

Mobile No.....

e-mail.....